

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 1984/वैशाख 18, 1906
No. 55] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 1984/VAISAKHA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

राष्ट्रिय मंत्रालय

आवास व्यापार विभाग

नई दिल्ली, 3 मई, 1984

सार्वजनिक सूचना सं० 23-आईटीसी (पीएम)/84

विषय: मई 1984-मार्च 1985 के लिए आवास एवं निवास नीति,

[सि० सं० 1/24/सी/आईटीसी/74-ई पी सी (बोल्ड II)]-राष्ट्रिय मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना
सं० 18-आईटीसी (पीएम)/84, दिनांक 12 मई, 1984 के संलग्न प्रकाशित तथा संशोधित
मई, 1984-मार्च, 1985 की आवास एवं निवास नीति की ओर ध्यान दिनामा जाता है।

2. निम्नलिखित श्रुतियाँ नीति में नीचे संकेतित अधिनियमों पर की गयी समझौता बाधगी :—

क्रम प्रावस्त एवं निर्यात नीति 1984-85 सं० (विशेष-1) की पृष्ठ सं०	संशोधन	श्रुति
1	2	3
1	320	परिशिष्ट-22 अनुबंध-1 विदेशी धनकेता द्वारा संभारित सोने के मयूरे स्वर्ण आभू- षणों के निर्यात के लिए योजना बाधक-6
		10वीं और 14वीं पंक्ति में "83 रुपए" की धनराशि को "83.33 रुपए" पढ़ा जाएगा।
2	323	परिशिष्ट-22 अनुबंध-2 1984-85 के दौरान हस्तकरबा एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम द्वारा आयोजित अनुमोदन नुमायशों में बिक्री के लिए स्वर्ण जेवरों के अभिलेखों के निर्यात के लिए योजना-पत्र 6
		आठवीं और 12वीं पंक्ति में "83 रुपए" की धन- राशि को "83.33 रुपए" पढ़ा जाएगा।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य विप्रेक्षक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

New Delhi, the 3rd May, 1984.

Public Notice No. 23-ITC(PN)/84

Subject: Import & Export Policy for April 1984 - March, 1985

F. No. 1/24/P/REP/74.—EPC(Vol. II).—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1984-March 1985, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 18-ITC(PN)/84 dated the 12th April, 1984, as amended.

2† The following corrections shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated below:—

S.No.	Page No. of Import & Export Policy, 1984-85 (Vol. I)	Reference	Errata
1	2	3	4
1.	320	Appendix 22 Annexure I Scheme for export of Gold Jewellery against gold supplied by the foreign buyer. Para 6.	In the 10th and 14th line, the amount "Rs. 83" shall read "Rs. 83.33".
2.	323	Appendix 22 Annexure II Scheme for export of Gold Ornaments and Articles for sale at appro- ved exhibitions to be organised by HHEC during 1984-85. Para 6.	In the 8th and 12th line, the amount "Rs. 83" shall read "Rs. 83.33".

P.C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

